



ज्ञान तत्व

सत्यता एवं निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

JAN 2025

अंक - 3

464

हमारी दी अनेक
संशोधित परिभाषाओं
सत्य सिद्ध :

3

इनमें अधिकांश परिभाषाओं के अर्थ बदल दिए गए हैं। यही कारण है कि आज दुनिया भर में यह गलत परिभाषाएं गलत परिणाम निकाल रही हैं। मैंने अपने 70 वर्षों के रिसर्च में इन सब परिभाषाओं पर गंभीरता से चिंतन किया है तथा इन परिभाषाओं में बदलाव भी किया है और सही परिभाषाएं समाज के सामने प्रस्तुत भी की हैं।

बांग्लादेशी घुसपैठियों के निकाले
जाने से बड़ी विपक्ष की चिंता :

5

समाज सर्वोच्च वाली वैचारिक
हिंदुत्व संस्कृति :

11



सिंहावलोकन

**“स्वराज्य का पुनर्जागरण”
प्रथम चरण यात्रा विवरण :**

4 यह प्रश्न अनेक जगह उठा। व्यक्ति तथा समाज के प्राकृतिक उद्भव को समझें तो सरकार की कार्य प्रणाली के आधार पर व्यक्ति का सांस्कृतिक स्वरूप निर्मित नहीं होना चाहिए

**इतना मुश्किल भी नहीं है
सुरक्षा की गारंटी देना :**

5 शहर में इतनी पुलिस होने के बाद भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, आखिर अंतर क्यों है। हम इतना टैक्स देते हैं, इसके बाद भी यह हाल क्यों है? कॉलोनी में तो हम कम टैक्स देते हैं और उसके बाद भी पूरी सुरक्षा है।

9 **नेहरू परिवार अभी भी
हिंदुत्व विरोधी :**

11 **व्यक्ति कितने घंटे काम करें
व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर
होता है :**

9 **देव प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति
के बीच हमेशा टकराव रहा है :**

13 **राज्य को न्यूनतम हिंसा की
जगह संतुलित हिंसा करनी
चाहिए :**

पत्र व्यवहार का पता


बजरंग लाल अग्रवाल पोस्ट बाक्स 15, रायपुर (छ.ग.) 492021

website : margdarshak.info

प्रकाशक, संपादक व स्वामी - बजरंगलाल

9617079344

mail : Support@margdarshak.info



अपनों से अपनी बात

सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन अभियान में हमारी भूमिका:

1 अप्रैल प्रातः कालीन सत्र। हम तीन दिनों की चर्चा में इस निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं कि हमारी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, पारिवारिक या व्यक्तिगत व्यवस्था में अनेक प्रकार की बुराइयां आने के कारण राज्य व्यवस्था ने हमारी अन्य सभी व्यवस्थाओं को कमजोर या गुलाम बना दिया है। हमारी अन्य सभी व्यवस्थाओं की नियत खराब नहीं थी, लेकिन उसमें बुराइयां आईं और उन बुराइयों के दुष्प्रभाव पड़े। हमारी व्यवस्थाएं कमजोर हुईं और राज्य व्यवस्था ने इसका लाभ उठाया। हमारे देश की या दुनिया की राज्य व्यवस्था की नीतियां भी गलत हैं और नियत भी गलत है, जबकि हमारे अन्य व्यवस्थाओं की नीतियां गलत थीं, नियत गलत नहीं थी। इसलिए हम एक बड़े संकट में चले गए हैं और इसका समाधान भी हमें ही करना होगा। इस समस्या का समाधान दो दिशाओं से एक साथ शुरू करना होगा। हमें राज्य निरपेक्ष समाज व्यवस्था बनानी पड़ेगी, राज्य पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। राज्य की शक्ति कम करनी पड़ेगी। दूसरी ओर, समाज में आई हुई बुराइयों को भी हमें दूर करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार समाज व्यवस्था में सुधार करने होंगे और राज्य व्यवस्था से मुक्ति पानी होगी। इसकी शुरुआत हम यहां से कर सकते हैं कि राज्य ने संविधान संशोधन के अपने पास सारे अधिकार इकट्ठे कर लिए हैं। हम संविधान संशोधन के उसके असीम अधिकारों के मामले में अपनी घुसपैठ बनाने तंत्र मुक्त संविधान का नारा लगाएं। सिर्फ एक यही छोटा सा कार्य है जो यदि हम कर सकें तो राज्य की ताकत कम हो जाएगी। दूसरी ओर, हम इस दिशा में भी सक्रिय हों कि समाज की वर्तमान व्यवस्था पर हम चिंतन मंथन शुरू करें, इसके समाधान पर चर्चा करें और यदि हम इन दोनों दिशाओं में एक साथ सक्रिय हुए, तो समाधान अवश्य निकलेगा। मैं आपको आश्चस्त करता हूँ कि पिछले दो-तीन वर्षों से मां संस्थान के स्वरूप में सक्रिय होकर जो प्रयत्न शुरू किया,



उसके अच्छे परिणाम निकलने शुरू हो गए हैं। मां संस्थान की व्यवस्था के अंतर्गत लोक स्वराज की दिशा में भी दिल्ली कार्यालय निरंतर सक्रिय है। दूसरी ओर, विचार मंथन और समाज सशक्तिकरण की दिशा में भी ज्ञान यज्ञ परिवार का रामानुजगंज कार्यालय निरंतर सक्रिय है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम आप सब एक साथ मिलकर इस असंभव कार्य को संभव कर सकेंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप मुझे 9617079344 पर फोन भी कर सकते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर प्रश्न भी कर सकते हैं। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं।

हमारी दी अनेक संशोधित परिभाषाओं सत्य सिद्ध :

11 जनवरी प्रातः कालीन सत्र सामाजिक चर्चा। मैंने अपने जीवन में समाज विज्ञान पर लंबा रिसर्च किया, निष्कर्ष निकाला कि सामाजिक व्यवस्था के हर क्षेत्र में बहुत गिरावट आई है। यह गिरावट सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि सारी दुनिया की है। इस गिरावट में अनेक कारण हैं, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि सारी दुनिया में अधिकांश परिभाषाओं को विकृत

“मां संस्थान की व्यवस्था के अंतर्गत लोक स्वराज की दिशा में भी दिल्ली कार्यालय निरंतर सक्रिय है। दूसरी ओर, विचार मंथन और समाज सशक्तिकरण की दिशा में भी ज्ञान यज्ञ परिवार का रामानुजगंज कार्यालय निरंतर सक्रिय है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम आप सब एक साथ मिलकर इस असंभव कार्य को संभव कर सकेंगे।”

कर दिया गया है या उन्हें पूरी तरह बदल दिया गया है। यदि किसी परिभाषा को ही विकृत कर दिया जाएगा, तो उसके परिणाम तो गलत निकलेंगे ही, क्योंकि 90% लोग परिभाषाओं के अनुसार परिणाम निकालते हैं। उन्हें नहीं पता कि परिभाषा ही गलत है। यदि किसी अस्पताल में शरीर के जांच का परिणाम ही गलत होगा, तो उसकी दवा तो गलत होगी ही। दुनिया में ऐसी बदली गई परिभाषाओं में बेरोजगारी, गरीबी, मौलिक अधिकार, अपराध, समाजवाद, धर्म, महंगाई, मुद्रा स्फीति, स्वराज, संविधान, नागरिक संहिता आदि अनेक प्रकार की परिभाषाएं हैं। इनमें अधिकांश परिभाषाओं के अर्थ बदल दिए गए हैं। यही कारण है कि आज दुनिया भर में यह गलत परिभाषाएं गलत परिणाम निकाल रही हैं। मैंने अपने 70 वर्षों के रिसर्च में इन सब परिभाषाओं पर गंभीरता से चिंतन किया है तथा इन परिभाषाओं में बदलाव भी किया है और सही परिभाषाएं समाज के सामने प्रस्तुत भी की हैं। यही कारण है कि बदली हुई परिभाषाओं के परिणाम मुझ पर नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि हम लोगों ने मिलकर जो संशोधित परिभाषाएं बनाई हैं, वे परिभाषाएं हमें सही निष्कर्ष पर पहुंचा रही हैं। आपको भी यदि ऐसा लगता है कि इनमें से कोई परिभाषा वर्तमान में ठीक है, तो आप मुझसे भी चर्चा कर सकते हैं। सिर्फ इतनी ही नहीं, इनके साथ और भी 50 को ऐसी परिभाषाएं हैं, जिन परिभाषाओं को हम लोगों ने चिंतन मंथन करके सुधारा है। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि जब तक परिभाषाएं गलत प्रचलित रहेंगी, तब तक आप सही नतीजे तक नहीं पहुंच सकते।

बजरंग मुनि

प्रधान संपादक

“स्वराज्य का पुनर्जागरण” प्रथम चरण यात्रा विवरण :

नरेन्द्र सिंह

बुद्धि और विवेक के सन्तुलन से व्यक्ति ने सभ्यता का रूप गढ़ा है और सभ्यता को व्यवस्था के जरिए गति दी है। व्यवस्था सामाजिक हो या राज्य के रूप में हो, यह अर्थ की हो या न्याय की, इनके आधार पर व्यक्ति जब जीवन का सन्तुलित निर्वहन करता है तो सभ्यता का स्वरूप अधिकाधिक स्पष्ट होता है। दूसरी और दुनिया में ऐसा भी होता रहा है कि जब व्यक्तिगत व्यवस्था समाज और यथार्थ की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो सभ्यता धूल-धूसरित हो जाती है। वस्तुतः व्यवस्था का स्वरूप ऐसा बना रहना चाहिए कि वह समाज विरोधी तत्वों पर नियन्त्रण किये रहे ताकि व्यक्ति की स्वतन्त्रता बाधित न हो।

यद्यपि सभ्यता के परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए समाज में अनेक बार यह बात कही जाती है कि युद्ध शान्ति का अन्तिम विकल्प होते हैं तथा 'एटम बम' एवं अन्य आधुनिकतम विध्वंसक हथियारों के जरिए शक्ति सन्तुलन बनाकर वैश्विक समाज को सन्तुलित बनाने का प्रयास किया जाता है। मेरे विचार से तो यह धारणा सभ्यता के आस्तित्व को चुनौति देती है। क्या आधुनिक मानव सभ्यता हिंसा और प्रतिहिंसा का मूल्यांकन करने में भी समर्थ नहीं है?...सभ्यता के विकास का मूल्यांकन तो यह सिद्ध करता है कि व्यक्ति द्वारा आधुनिक तकनीक और सुख सुविधाओं का विकास करना ठीक है, लेकिन तब हमें प्रकृति के सन्तुलन के प्रति भी सजग रहना चाहिए। सभ्यता का यह मौलिक गुण है कि इसके परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति को वर्चस्ववाद एवं वर्ग-संघर्ष की धारणा से मुक्त होना चाहिए तथा व्यक्ति स्वानुशासन की गरिमा का पालन करे और किसी अन्य की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप न करे। जो व्यक्ति किसी अन्य की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करता है वह अपराधी है। जो व्यक्ति समूह ऐसा करने वाले व्यक्ति को प्रश्रय देता है वह असभ्यता का प्रसारक है। इसी क्रम में जो व्यवस्था ऐसे व्यक्ति एवं व्यक्ति समूह को नियन्त्रित न कर सके वह अनावश्यक है। समाज को ऐसी व्यवस्था को यथार्थपरक बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में स्थित एवं आदणीय बजरंग मुनि जी के संरक्षण में संचालित 'मार्गदर्शक सामाजिक षोथ संस्थान' कुछ ऐसे ही आधारों पर सामाजिक विज्ञान का षोथ करता है। संस्थान के ऐसे कार्यों को समाज के सामने रखने के लिए आगामी दिनांक-29.30 व 31 मार्च 2025 को दिल्ली के निकट वी.एस.के. गार्डन, एस/4 नालेज पार्क-3, ग्रेटर नोएडा में लोक स्वराज पुनर्जागरण सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। देश भर में लोगों से संस्थान के उद्देश्य पर विचार विमर्श कर निमंत्रण देने के लिए एक यात्रा दिनांक-23.11.2024 को रामानुजगंज (छत्तीसगढ़) से प्रारम्भ हुई। इस यात्रा का समापन सम्मेलन में सम्मिलित होने के साथ होगा।

इस सम्मेलन के जरिए संस्थान का उद्देश्य लोगों तक पहुँचाना है। आदरणीय बजरंग मुनि जी के संरक्षण में मार्गदर्शक सामाजिक षोथ संस्थान का यह निश्कर्ष है कि आधुनिक दुनिया में एक ओर भौतिक विकास खूब हो रहा है तो दूसरी ओर

चरित्र पतन भी बहुत तेजी से हो रहा है। दुनिया भर के देशों की सरकारें मजबूत हो रही हैं और उनकी तुलना में समाज कमजोर हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि सरकारें समाज की प्राकृतिक संरचना के विरुद्ध निर्णय कर ले रही हैं जिससे अनेक देशों के बीच युद्ध तथा हिंसा का वातावरण बना हुआ है। भारत की आधुनिक युग से तुलना करें तो यह स्थिति साफ होती है कि पुराने समय में भारत में राज्य (सरकार) विचारकों, सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं (ऋशियों) से मार्गदर्शन प्राप्त करता था, यहां समाज विज्ञान का अध्ययन-मनन निरन्तर चलता रहता था। जिसके फलस्वरूप समाज की आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था बनाने का मार्ग प्रशस्त होता था। प्राचीन भारत दुनिया को वैचारिक नेतृत्व प्रदान करता था। लेकिन आधुनिक युग में यह क्रम रूक गया है। जिसके फलस्वरूप भारतीय सामाजिक स्थिति डांवाडोल हो गयी है।

रामानुजगंज से चलकर यात्रा का पहला पड़ाव बोधगया (बिहार) में रहा। यहां पर हम सभी ने आचार्य कुल के महासम्मेलन में भाग लिया और इस महासम्मेलन के आयोजकों ने हमें इसमें पधारें महानुभावों के सामने मार्गदर्शक सामाजिक षोथ संस्थान के उद्देश्य को प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इस प्रकार के आयोजनों में सरकार की समीक्षा का प्रश्न स्वाभाविक ही उठ जाता है। इस यात्रा में तो यह प्रश्न अनेक जगह उठा। व्यक्ति तथा समाज के प्राकृतिक उद्भव को समझें तो सरकार की कार्य प्रणाली के आधार पर व्यक्ति का सांस्कृतिक स्वरूप निर्मित नहीं होना चाहिए। आधुनिक दुनिया में राज्य को न केवल समाज का प्रतिनिधि बल्कि स्वरूपनिर्माता मान लिया गया है। वस्तुतः ऐसा होने पर व्यक्ति राज्य का अन्धभक्त हो जाता है और यह दशा राज्य को एक सार्वभौमिक इकाई घोषित होने में मदद करती है। स्वतन्त्रता के बाद देश में अलग-अलग विचार धाराओं के आधार पर निर्मित राजनीतिक संगठनों ने सरकारें बनाई हैं। देश में कई प्रधानमन्त्री बने हैं और राज्यवार अनेक मुख्यमन्त्री! भारत में पंचायत राज्य व्यवस्था के आधार पर भी राजनीतिक व्यवस्था को विकेन्द्रित करने का भरपूर प्रयास किया गया है। लेकिन देश की राज्य व्यवस्था में जो सबसे बड़ा दोष दिखाई देता है, वह यह है कि सुधार के अनेक उपाय होने के बाद भी राज्यतन्त्र और आम आदमी के बीच दूरी बहुत ज्यादा है! यह दूरी भारत के लोकतन्त्र को संवैधानिक तानाशाही के रूप में स्थापित करती है। भारत का संविधान उन जनप्रतिनिधियों (नेताओं) की कैद में है जिनका चुनाव तो जनता करती है लेकिन उन पर नियन्त्रण राजनीतिक संगठनों के मुखियाओं का होता है। भारत के लोकतन्त्र का यह स्वरूप लोकतान्त्रिक सभ्यता के विकास का अवरोधक है। देश के आम जन मानस को इस दशा पर विचार करना ही चाहिए। तभी हम भारतीय समाज की अनेक समस्याओं को हल कर सकेंगे! देश की ऐसी सामाजिक एवं

संवैधानिक दशा पर विचार करने के लिए ही यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के विषय निम्नवत हैं-

- 1- स्वराज्य की विषय वस्तु और संविधान।
 - 2- मार्गदर्शक मण्डल की संरचना एवं समाज में इसकी भूमिका।
 - 3- विचार मंथन की प्रासंगिता (इतिहास एवं वर्तमान), विचार मंथन क्या, क्यों, कैसे?
 - 4- ज्ञानयज्ञ परिवार की संरचना और संदेश।
- बोधगया से यह यात्रा डिहरी, बनारस, सुलतानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, षाहजहाँपुर, बरेली, सम्भल, बदायूँ, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारणपुर, हरिद्वार, देहरादून, बिजनौर, दिल्ली, आगरा इत्यादि जिलों में गयी। यात्रा में मिलने वाले लोगों से सम्मेलन के विषयों की चर्चा हुई और अनेक लोगों ने सम्मेलन में पधारने हेतु निमन्त्रण स्वीकार किया। इस यात्रा का दूसरा चरण फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में आरम्भ होगा।
- धन्यवाद।

पुलिस विभाग को नागरिकों द्वारा सम्मानित किया गया :

आज मैं रामानुजगंज नगर में हूँ। रामानुजगंज मेरा जन्म स्थान भी है और कार्यक्षेत्र भी रहा है। रामानुजगंज वह शहर है जहां स्वराज का भी सफल प्रयोग हो चुका है और अपराध नियंत्रण का भी। रामानुजगंज शहर में 70 वर्ष पहले यहां के नागरिकों और पुलिस के बीच एक आपसी समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत हमारी पुलिस यहां के नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी देगी और यहां के नागरिक पुलिस विभाग को सब प्रकार का सम्मान और सुविधा प्रदान करेंगे। दोनों ही पक्ष हमेशा अपनी-अपनी भूमिका सफलतापूर्वक पूरी करते रहे। पिछले 3 महीने पहले झारखंड के कुछ अपराधियों ने यहां की इस व्यवस्था को चुनौती दी और एक बड़ी डकैती की घटना हुई, जो रामानुजगंज शहर के लिए भी कलंक थी और पुलिस विभाग के लिए भी। पुलिस विभाग ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और झारखंड से उन सभी खूंखार अपराधियों को पकड़ कर ले आई, जो वहां लंबे समय से इस प्रकार के अपराध करके भी बच जाया करते थे। अब रामानुजगंज के नागरिकों की बारी थी। कल एक बड़ी आमसभा हुई, उस आम सभा में यहां के नागरिकों ने पुलिस विभाग को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम के द्वारा यहां के नागरिकों ने अपनी ओर से ₹100000 की सम्मान राशि भी प्रदान की और पुलिस विभाग को सम्मानित भी किया गया। रामानुजगंज के नागरिकों ने पुलिस विभाग से यह भी अपेक्षा की कि वे इसी प्रकार अपना वचन निभाते रहेंगे और यहां के नागरिक उन्हें सब प्रकार की सुविधा और सम्मान देते रहेंगे। कल रामानुजगंज में एक यह भी घटना हुई कि यहां के नगर को 20-30 वर्ष पहले नगर पालिका से नगर पंचायत बना दिया गया था। कल से रामानुजगंज को फिर से नगर पालिका घोषित कर दिया गया है। इस कार्य के लिए भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

विविध विषयों पर मुनि जी के लेख

इतना मुश्किल भी नहीं है सुरक्षा की गारंटी देना :



मैं भारत देश में रहता हूँ, रायपुर शहर में रहता हूँ। रायपुर शहर की एक कॉलोनी मारुति लाइव स्टाइल में रहता हूँ। उस कॉलोनी में करीब 200 से ज्यादा घर हैं, कुल आबादी करीब 1000 होगी। हम लोगों की सुरक्षा में 15-20 लोग रहते हैं। रात को कभी हम लोग किवाड़ बंद करके नहीं सोते हैं। कोई भी अगर आ जाता है, तो कोई संदेह नहीं है। ना किसी जान का खतरा है, ना सामान का खतरा है, ना चोरी और डकैती का खतरा है, क्योंकि गेट पर पहरा रहता है, बाहर से आने वालों के नाम लिखे जाते हैं। यही पूरी व्यवस्था है। लेकिन जो कॉलोनी नहीं है, वहां पुलिस सुरक्षा देती है, वहां सरकार का कानून भी बना हुआ है। चोरियां भी होती हैं, गाड़ियां भी गायब हो जाती हैं। आश्चर्य है कि हम सरकार को इतना टैक्स देते हैं, सरकार पुलिस की व्यवस्था करती है, इसके बाद भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, जबकि हमारी कॉलोनी में बहुत कम पुलिस व्यवस्था है, इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हम लोग अपने घर का ताला बंद करके नहीं जाते हैं और कॉलोनी के बाहर अगर हम ताला बंद करके भी चले जाएं, तो वापस आते तक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। मैं इस विषय पर गंभीरता से विचार किया कि आखिर हमारी कॉलोनी में इतनी सुरक्षा कैसे है और कॉलोनी के बाहर शहर में इतनी पुलिस होने के बाद भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, आखिर अंतर क्यों है। हम इतना टैक्स देते हैं, इसके बाद भी यह हाल क्यों है? कॉलोनी में तो हम कम टैक्स देते हैं और उसके बाद भी पूरी सुरक्षा है। तो बहुत पता करने और सोचने के बाद मुझे इस रहस्य का पता चला कि हमारी जो सरकार की पुलिस है, उसको सरकार ने अनावश्यक काम दे दिए हैं। उसका काम है जुआ रोकना, गांजा रोकना, वेश्यावृत्ति रोकना और पता नहीं अन्य पचासों काम रोकना, जबकि हमारी कॉलोनी के सुरक्षा कर्मियों का काम है सिर्फ सुरक्षा की गारंटी देना। यही कारण है कि कम सुरक्षा कर्मी होने के बाद भी हम लोग भय रहित हैं और बाहर में अधिक सुरक्षाकर्मी होने के बाद भी हम भयभीत हैं। अच्छा हो कि सरकार सुरक्षा और न्याय के लिए अलग विभाग बना दे। हम उस विभाग को अलग से टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन हमें भय मुक्त वातावरण चाहिए। शराब रोकना, गांजा रोकना एक्सेस को दे दीजिए, वेश्यावृत्ति रोकना महिला विकास मंत्रालय को दे दीजिए, पुलिस को आप केवल सुरक्षा दीजिए और परिणाम देखिए कितना अच्छा निकलता है।

बांग्लादेशी घुसपैठियों के निकाले जाने से बड़ी विपक्ष की चिंता :



पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर में यह अभियान शुरू किया जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन-चुन कर निकाला जाए। अभी तक तो पिछले कुछ महीनों से यह शुरुआत असम में हुई थी, अब दिल्ली, बंगाल या देश के अन्य भागों में भी शुरुआत हो चुकी है। इस मुहिम का देश में अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। यह बात सही है कि दो-तीन महीने पहले भारत इस प्रकार की मुहिम शुरू करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि बांग्लादेश से उसके बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन अब बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है और जिस तरह बांग्लादेश सरकार ने भारत के विरुद्ध प्रचार शुरू किया है, उससे भारत की यह मजबूरी भी दूर हो गई है। अब भारत के विपक्षी दल इस मामले में बहुत ही संशय में हैं कि वे क्या करें। उनके वोट बैंक भारत से निकल जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से विपक्ष ने अपना वोट बैंक बनाया था। अरविंद केजरीवाल बहुत चिंतित हैं कि उनके मतदाता कम किए जा रहे हैं। यह चिंता धीरे-धीरे अखिलेश यादव को भी होगी और स्वाभाविक है कि विपक्ष के अन्य नेताओं को भी हो। कांग्रेस पार्टी भी इस अभियान से बहुत चिंतित है, लेकिन खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बांग्लादेशियों का मामला है। भारतीय मुसलमान का तो है नहीं। भारत के मुसलमान भी इस विषय पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और भारत के मुसलमान बांग्लादेशी मुसलमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए विपक्षी दल और मुसलमान एक उहापोह की स्थिति में आ गए हैं। इधर गिरते हैं तो कुआं है, उधर गिरते हैं तो खाई है। अरविंद केजरीवाल यह तर्क दे रहे हैं कि बांग्लादेशी भारत में आए तो जरूर सरकार की लापरवाही है। अखिलेश यादव तर्क दे रहे हैं कि बांग्लादेशी मुसलमान के नाम पर आम मुसलमान को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस विषय में राहुल गांधी अभी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं क्योंकि एक तरफ उनके वोटों पर प्रभाव पड़ रहा है और दूसरी तरफ उन्हें हिंदुओं के वोट की भी चिंता है। मेरे विचार से विपक्ष बहुत परेशान है। मेरा यह सुझाव है कि सरकार इस मामले में और अधिक तेजी से काम करें क्योंकि इस एक मुहिम से अनेक समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। देखिए भविष्य में क्या होता है।

उत्पादक और उपभोक्ता के वर्ग संघर्ष में उत्पादन को दुष्प्रभावित किया:

2 अप्रैल प्रातःकालीन सत्र सामाजिक विषय पर चर्चा। स्वतंत्रता के बाद मैं आज तक देख रहा हूँ कि भारत में उत्पादक और उपभोक्ता के नाम से दो अलग-अलग वर्ग बना दिए जाते हैं। वास्तविकता यह है कि भारत का हर व्यक्ति उपभोक्ता तो होता ही है, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, लेकिन कुछ लोग उपभोक्ता के साथ उत्पादक भी होते हैं और कुछ लोग उत्पादन न करके सेवा कार्य करते हैं। यदि हम सेवा कार्य को भी उत्पादन मान लें, तो भारत का हर व्यक्ति हर समय उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी। दुर्भाग्य से हमने स्वतंत्रता के बाद उत्पादन को निरूत्साहित किया और उपभोक्ता को बढ़ावा दिया। इसका परिणाम हुआ कि भारत में उत्पादन घटता चला गया और हम दुनिया से आयात बढ़ाने लगे। दुनिया उत्पादन को महत्व दे रही है और भारत उपभोग को। यह नीति पूरी तरह गलत रही और इस नीति को बदलने की जरूरत है। आज महंगाई हमारे लिए अभिशाप नहीं, वरदान है, लेकिन महंगाई का झूठा हल्ला करने से उपभोक्ताओं की हालत लगातार सुधरती गई है और भारत में आयात बढ़ता चला गया है। उत्पादकों की हालत लगातार खराब हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उत्पादन छोड़कर सेवा कार्य की तरफ जा रहा है। नौकरी के लिए मारामारी मची हुई है, खेती से लोग मुंह मोड़ रहे हैं। उद्योग धंधों को भी बहुत परेशान किया जा रहा है। दिन-रात उद्योगपतियों को गाली दी जा रही है। अगर लहसुन महंगा हो गया, एक मूर्ख दिन-रात चिल्लाता रहता है कि लहसुन महंगा हो गया, लेकिन मुझे कल ही पता चला है कि हमारे रामानुजगंज शहर में ₹4 किलो में गोभी खरीदने वाला नहीं है। उस मूर्ख के मुंह से कभी नहीं निकला कि उत्पादन की क्या हालत है। इसलिए अब समय आ गया है कि उत्पादक और उपभोक्ता इन दोनों को अलग-अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार को वर्ग भेद खत्म कर देना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिए, निर्यात बढ़ाना चाहिए, आयात तो रोकना चाहिए। जो लोग महंगाई का हल्ला करते हैं, उन्हें देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए क्योंकि जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। जब तक वस्तुएं महंगी नहीं होंगी, तब तक हमारा उपभोग नहीं घटेगा। दूसरी ओर, उत्पादकों में से भी जब तक सेवा कार्यों की तरफ लोगों का आकर्षण कम नहीं होगा, तब तक वास्तविक उत्पादक और सेवा कार्यों के बीच भी संतुलन बिगड़ रहेगा। इसलिए हमें दो दिशाओं में कार्य करना पड़ेगा। एक, वास्तविक उत्पादकों को प्रोत्साहित करना होगा और उसके लिए आयात कम करना ही एकमात्र समाधान है। महंगाई को बढ़ने दीजिए। विकास दर अगर थोड़ी सी कम हो जाए, तो कोई चिंता की बात नहीं है। विकास दर की तुलना में उत्पादन बढ़ाना, उपभोग घटाना अधिक महत्वपूर्ण है।

समस्याओं के समाधान में बाधा बनने की विपक्षी राजनीति:

यह बात पूरी तरह प्रमाणित हो चुकी है कि वर्तमान भारत में सत्ता पक्ष समस्याओं के समाधान करने में सक्रिय है और विपक्ष सिर्फ राजनीति में सक्रिय है। विपक्ष किसी तरह सत्ता को पलटना चाहता है, भले ही देश का नुकसान हो जाए। सत्ता पक्ष अपनी सत्ता को बचाते हुए देश की समस्याओं का समाधान कर रहा है। पिछले दिनों ही यह बात स्पष्ट हुई कि वर्तमान भारत सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। यह बात जगजाहिर है कि यह प्रयत्न अटल बिहारी वाजपेई ने शुरू किया था। मनमोहन सिंह ने इस योजना को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन चाहे सोनिया जी के दबाव के कारण या अन्य किसी कारण से नदी जोड़ो अभियान आगे नहीं बढ़ सका। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी दो नदियों को जोड़कर यह नई पहल शुरू कर दी है। अभी मध्य प्रदेश में इस योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के लिए नई सरकार को धन्यवाद दिया जाना चाहिए क्योंकि नदियों को जोड़ना हर प्रकार से अच्छा होगा। यह बात भी पूरा देश जानता है कि बिजली उत्पादन या नदियों को जोड़ने के मामले में साम्यवादी पूरा विरोध करते हैं। साम्यवादी यह कभी नहीं चाहते कि डीजल-पेट्रोल का उपयोग घटे। जंगल डूब जाएंगे, जमीन कम हो जाएगी, इस तरह के अनेक बहाने करके इस प्रकार की परियोजनाओं का विरोध करते हैं और साम्यवादियों के इशारे पर ही विपक्ष कुछ न कुछ विरोध के तरीके खोजता है। लेकिन यह पहली बार है कि नदी जोड़ो अभियान में विपक्ष भी चुप है। मैं इस बात के लिए सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों को धन्यवाद देता हूँ कि इस योजना में साम्यवादियों को किनारे कर दिया गया है। नदी जोड़ो योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है। और इस तरह की अच्छी योजनाओं में सबको एक साथ होकर कार्य करना चाहिए।

धूर्त नेतृत्व ज्यादा नुकसानदेह हैं, अपेक्षाकृत मूर्ख के:

हम सायं कालीन के राजनीतिक चर्चा में कांग्रेस पार्टी के भविष्य की चर्चा करें। राहुल गांधी की विदाई के बाद प्रियंका गांधी सामने आ रही हैं। राहुल गांधी एक भला आदमी थे, राजनीति की समझ नहीं थी। राहुल गांधी से देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं था क्योंकि राहुल गांधी की अपनी कोई योग्यता नहीं थी। यदि गंभीरता से सोचे तो मूर्ख ज्यादा नुकसान कर सकता है या धूर्त ज्यादा नुकसान कर सकता है, यह निर्णय करना बहुत कठिन है। मेरे विचार से धूर्त आदमी ज्यादा नुकसान कर सकता है मूर्ख की तुलना में। यदि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी लेती हैं, तो देश के लिए ज्यादा नुकसान होगा, भले ही कांग्रेस पार्टी को कुछ लाभ हो जाए। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी के कार्यकाल में सभी लोग राहुल का स्थान लेना चाहते थे, चाहे वह अरविंद केजरीवाल हों या अखिलेश यादव, लेकिन अब ..



प्रियंका के आने के बाद ऐसी संभावना दिखती है कि प्रियंका चालाक पड़ेगी और आपस में टकराव बढ़ भी सकता है। अभी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन देश की राजनीति के लिए राहुल की तुलना में प्रियंका का आना अधिक खतरनाक होगा क्योंकि राहुल से तो कांग्रेस को खतरा था, देश को नहीं। प्रियंका के आने से देश को खतरा हो सकता है। अच्छा हो, यह पूरा परिवार पूरी तरह भारत की राजनीति को मुक्त कर दे। देश के लिए भी भला होगा, समाज के लिए भी। 70 वर्षों का समय बहुत लंबा समय होता है और अब तो यह लोग देश पर दया कर दें तो अच्छा है।

स्वतंत्रता के बाद गांधी विचार को पूरी तरह से उलट दिया गया :

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जहां गांधी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, वहीं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सरहदी गांधी कहा जाता है, उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। महात्मा गांधी के पीछे पूरा देश चल रहा था और सरहदी गांधी का भी देश में उतना ही सम्मान था। यह अलग बात है कि अपने अहिंसक प्रवृत्ति के कारण हिंदू बहुमत गांधी के साथ खड़ा हो गया और हिंसक प्रवृत्ति के कारण मुस्लिम बहुमत सरहदी गांधी गफ्फार खान के साथ खड़ा नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों ने अहिंसा के क्षेत्र में अभूतपूर्व और ईमानदार प्रयत्न किए थे। दोनों ही सामाजिक बुराइयों को भी दूर करने में कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ काम कर रहे थे। विभाजन के मामले में भी गांधी और गफ्फार खान एक साथ खड़े थे, जबकि पटेल, नेहरू, अंबेडकर सब विभाजन के पक्षधर थे। विभाजन के बहुत वर्षों बाद सन 71 में सरहदी गांधी गफ्फार खान भारत की यात्रा पर आए थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें बहुत अच्छा सम्मान दिया था, लेकिन गफ्फार खान बड़ी ईमानदारी से इंदिरा गांधी से यह प्रश्न किया था कि मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने गांधी विचारों को पूरी तरह पलट दिया। यह बात इंदिरा गांधी को बहुत बुरी लगी थी, लेकिन वह कसमसा कर रह गई। आज भी खान अब्दुल गफ्फार खान को जितना भारत में सम्मान दिया जाता है, उतना पाकिस्तान



में नहीं। काश स्वतंत्रता के समय मुस्लिम बहुमत भी सरहदी गांधी की बात को समझ जाता। काश भारत के वर्तमान कांग्रेसी सांप्रदायिक मुसलमानों की बात समझने की अपेक्षा सरहदी गांधी की बात को समझ कर गांधी मार्ग पर चल पड़ते। वर्तमान भारत की सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ गांधी मार्ग है। गांधी मार्ग ही वास्तविक हिंदुत्व है।

कृषि को आंदोलनकारी दुकानदारों से मुक्ति मिलनी चाहिए :

पंजाब में कुछ पेशेवर लोग किसान का मुखौटा लगाकर आंदोलन कर रहे हैं और जब उनके आंदोलन का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब वह मरने की धमकी दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रकार के पेशेवर लोगों के मरने की धमकी पर अनावश्यक चिंतित हो गया है। अगर इस प्रकार के एक-दो लोग मर जाते हैं, तो उससे देश का कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि यह ब्लैकमेलर हैं, यह कम्युनिस्ट हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि पूर्वोत्तर भारत में एक कम्युनिस्ट महिला 10 साल तक अनशन करती रह गई थी और नहीं मरी, और अगर मरते हैं, तो मरने दीजिए। लेकिन इस प्रकार किसी की दादागिरी और ब्लैकमेलिंग से देश को परेशान नहीं होना चाहिए। सच्चाई यह है कि जो तीन किसानों के कानून बने थे, वे कानून ही सारी समस्याओं के समाधान थे, लेकिन इन पेशेवर लोगों ने वे कानून भी लागू नहीं होने दिए और अब दुष्परिणाम निकल रहा है, तो फिर से धमकी दे रहे हैं। अभी भी समय है कि वह तीनों कानून फिर से लागू कर दिए जाएं। किसानों की हालत अब तक सुधर गई होती और अब भी सुधर सकती है, यदि ये पेशेवर लोग कानून को लागू होने दें। अगर ये तीनों कानून लागू हो जाएंगे, तो यह किसान के नाम पर दुकानदारी करने वाले भूखे मर जाएंगे, इसलिए यह दुकानदार इतना चिल्ला रहे हैं। अब कृषि को इन आंदोलनकारी दुकानदारों से मुक्त होना चाहिए। मेरे विचार से अभी भी समय है कि हमारी न्यायपालिका इस मामले में गंभीर हो और तीनों कानून लागू करने का आदेश दे।

सभी आतंकवादी संगठन मुसलमान में ही क्यों :

नए वर्ष 1 जनवरी को अमेरिका ने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा, जब वहां एक आतंकवादी मुसलमान ने ट्रक से 50 लोगों को कुचला दिया। 14 लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोग घायल हो गए, और जैसा कि आपको विदित है कि दुनिया में आतंकवादी सिर्फ मुसलमान ही होते हैं। उनके बाद अगर कुछ आतंकवादी पाए जाते हैं, तो नक्सलवादियों में ही पाए जाते हैं, अन्य लोग आतंकवादी नहीं होते। प्रश्न यह खड़ा होता है कि सारे आतंकवादी संगठन मुसलमान में ही क्यों होते हैं। इसका कोई न कोई कारण खोजना आवश्यक है। भारत में भी ऐसे आतंकवादी मुसलमान ही मिलते हैं। रोहिंग्या भी या अन्य लोग भी मुसलमान को छोड़कर ईसाइयों में, यहूदियों में, बौद्धों में, हिंदुओं में किसी में इस तरह आतंकवादी नहीं मिलते। इस संबंध में मैंने जब बहुत खोजबीन की, तो मुझे यह पता चला कि आतंकवाद की शिक्षा उन्हें धर्म से मिलती है और कहीं से नहीं। सच्चाई यह है कि यदि एक मुसलमान का नवजात बच्चा हिंदू के घर में आकर यदि हिंदू जीवन पद्धति में जीता है, तो वह आतंकवादी नहीं होता, लेकिन यदि कोई हिंदू बालक मुसलमान के घर में रहकर जवान होता है, तो वह कट्टर हो जाता है, आतंकवादी भी हो सकता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आतंकवाद मनुष्य में नहीं, उसके संस्कार में है। यह बात साफ हो रही है कि यदि दुनिया के मुसलमान को उनके धर्म गुरुओं से किनारे कर दिया जाए, मदरसे की शिक्षा से किनारे कर दिया जाए, उन्हें धार्मिक शिक्षा न मिले, तो दुनिया में कोई मुसलमान आतंकवादी नहीं बन पाएगा। स्पष्ट है कि मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, इस्लामी शिक्षा उसे आतंकवादी बनाती है। क्यों न हम लोग मुसलमान से घृणा करने की अपेक्षा उन्हें उस शिक्षा से दूर करने का प्रयत्न करें जो उन्हें आतंकवादी बनाती है। इस विषय पर हम कल भी चर्चा करेंगे।

राजनीतिक व्यवस्था मुट्टी भर संगठित लोगों के कब्जे में :

4 जनवरी प्रातः कालीन सत्र। मैं अनेक बार लिखता रहा हूँ कि भारत की संपूर्ण व्यवस्था को मुट्टी भर संगठित गिरोहों ने अपने कब्जे में कर लिया है और वे लोग अपने संगठन की ताकत पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस प्रकार के ब्लैकमेल करने वालों में सरकारी कर्मचारी बहुत आगे हैं। यह कर्मचारी और नेता एक साथ जुड़े हुए हैं और इन दोनों का मिलक पेट इतना बड़ा है कि सारी दुनिया को भी अगर उनके पेट में डाल दिया जाए तो इनका पेट खाली ही रह जाता है। यह सड़कों पर दबाव बनाते हैं और दबाव बनाकर सरकार से मनवा लेते हैं क्योंकि सरकार में इन्हीं कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह सरकारी प्रतिनिधि और राजनीतिक दल दोनों एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं। दोनों आपस में बहस करने का नाटक करते हैं लेकिन सच बात यह है कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर हमारे देश को लूट लेना चाहते हैं। यह बात साफ नहीं है कि इस लूटपाट में नेता आगे हैं या कर्मचारी, लेकिन दोनों इस लूट में

लगे हुए हैं। मनमाना टैक्स बढ़ाते हैं और आपस में बांट लेते हैं। डॉक्टर सुनील मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, समाजवादी नेता हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मुझे कल एक जानकारी दी कि आज से 100 वर्ष पहले सन 1925 में एक सरकारी शिक्षक को ₹25 प्रति महीने का वेतन मिलता था। उस समय से लेकर आज तक हम करीब तीन सौ गुना महंगाई बढ़ी हुई मान सकते हैं। यद्यपि उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में तीन सौ गुना वृद्धि मानी जाती है। इस हिसाब से एक सरकारी शिक्षक का वेतन होना चाहिए, लेकिन इन्हें ₹60000 महीना मिलता है और इसके बाद भी सड़कों पर नाटक करते हैं, हड़ताल करते हैं, 25 तरह का ड्रामा करते हैं और सारे देश को लूट लेना चाहते हैं। यह लूटपाट सिर्फ शिक्षक की नहीं, सभी सरकारी कर्मचारी इसी तरह करते हैं और उन सरकारी कर्मचारियों का भी यह तर्क है कि जब नेता हमसे कई गुना अधिक लूट रहा है तो पहले नेता को देखा जाए। हम तो उस लूटपाट का हिस्सा मांग रहे हैं क्योंकि नेता जो भी लूटा है, वह हमारा माध्यम है, हमसे हमारे साथ जुड़कर लूटता है। हमें हिस्सा चाहिए। दोनों के अपने-अपने तर्क हैं, लेकिन इस लूटपाट में हम क्या कर सकते हैं? जो लोग लूटे जा रहे हैं, जिन पर यह दोनों मिलकर मनमाना टैक्स लगा रहे हैं, यह एक गंभीर प्रश्न है। इसलिए हमें यह निर्णय करना चाहिए कि सब कुछ निजीकरण कर दो। हम न इतना टैक्स देंगे, न यह दोनों मिलकर मनमाना लूट सकेंगे। हमें इतने कानून नहीं चाहिए, इतने विभाग नहीं चाहिए, इतना टैक्स नहीं चाहिए। हमें अधिक स्वतंत्रता चाहिए, सुविधा नहीं।

मुसलमान पूरी मानवीय व्यवस्था के विरुद्ध :

मैं कल इस्लाम और मुसलमान पर एक पोस्ट लिखी थी। आज मैं समाधान बताना चाहता हूँ। यह बात पूरी दुनिया में प्रमाणित हो गई है कि मुसलमान पूरी मानवीय व्यवस्था के लिए खतरनाक है और यह खतरा उसका व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक है। अर्थात् मुसलमान के धर्म गुरु और मदरसे और जनसंख्या वृद्धि मुसलमान को निरंतर कट्टरता के लिए ब्रेनवाश करते रहते हैं। लेकिन इसका समाधान बहुत कठिन नहीं है। सच्चाई है कि दुनिया में मुसलमान किसी तरह समझ भी सकता है, लेकिन मुसलमान को कम्युनिस्ट नहीं समझने देते क्योंकि साम्यवाद दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर ही उपयोग करता है और मुसलमान से अच्छा कंधा साम्यवाद को कभी नहीं मिलता। इसलिए जब तक साम्यवाद जिंदा रहेगा, तब तक मुसलमान की कट्टरता कम करना संभव नहीं है। फिर भी हम साम्यवाद के खत्म होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। वर्तमान समय में स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी गलती यह हुई कि हमारी सरकारों ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को प्रोत्साहित किया, इस्लामी किताबों को प्रोत्साहित किया, धर्म परिवर्तन पर रोक नहीं लगी। यहां तक



कि उन्हें हर प्रकार के वेतन दिए, स्कूलों में उनका सुविधा दी, मदरसो को विशेष अधिकार दिए गए और इन लोगों ने सरकार का प्रोत्साहन और समर्थन पाकर कट्टरता सीख ली। अब वही कट्टरता हमारे लिए समस्या बन गई है। यह समस्या सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। भारत इस्लाम से आसानी से निपट सकता था। लेकिन भारत अपने हिंदू संस्कृति और दुनिया के जनमत को देखते हुए चलना ठीक समझता था। अब धीरे-धीरे दुनिया को इस तकलीफ का अंदाज़ हो रहा है। अब मुसलमान को ट्रंप भी घेर रहे हैं, इजरायल भी घेर रहा है, चीन भी इनको मदद नहीं कर रहा है और भारत भी नहीं कर रहा है। इस तरह इस्लाम धीरे-धीरे पूरी दुनिया के घेरे में फसता जा रहा है। ऐसी स्थिति में मुसलमान को चाहिए कि वह अपनी कट्टरता छोड़ें, मुसलमान धर्म गुरुओं से और मदरसे से दूरी बना लें, शुक्रवार की नमाज घर में पढ़ें, मस्जिद में नहीं। हमारी सरकारों को भी चाहिए कि वह मुसलमान के साथ तो समानता का व्यवहार करें, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं को और मदरसो को जरा भी रियायत न दें क्योंकि यह मदरसे और मुस्लिम धर्मगुरु ही मुसलमान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन पर एक स्पष्ट कानून बनना चाहिए क्योंकि संख्या विस्तार ही इनका मनोबल बढ़ाता है। हमें दोनों तरफ से कार्य करना पड़ेगा। मुसलमान को समझना होगा कि वह मदरसे और धर्म गुरुओं से दूरी बनावे और हमें भी इनके धर्म गुरुओं और मदरसो को दुनिया के लिए खतरा मानकर व्यवहार करना पड़ेगा। हम मुसलमान को इज्जत दे सकते हैं, लेकिन उनके धर्म गुरुओं को नहीं, इनके मदरसो को नहीं। यदि हमने इस तरह से शुरुआत की, तो मुस्लिम सांप्रदायिकता का अगले 10-20 वर्षों में समाधान हो सकता है।

सत्तारूढ़ दल और विपक्ष अलग-अलग खेमों में बंटा :

वर्तमान भारत में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दो अलग-अलग सीमाओं में बट गए हैं। सत्तारूढ़ दल कुछ सुधारों की कोशिश करता है और उनकी घोषणाएं करता है तो विपक्षी दल उन घोषणाओं के परिणामों की प्रतीक्षा करते हैं। 10 साल पहले नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि यदि काला धन भारत में आएगा तो प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया मिल सकता है, इतना काला धन विदेश में है। मोदी जी काला धन नहीं ला सके। आज तक विपक्ष यही आरोप लगाता है कि मोदी जी काला धन नहीं ला सके। अरे भाई, काला धन जिसने विदेश में भेजा, वह प्रश्न कर रहा है। मोदी जी ने यह घोषणा की कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, 99% तक खत्म हुआ। अब विपक्षी दल दिन-रात यही प्रतीक्षा करता रहता है कि अगर एक भी वहां कश्मीरी ब्राह्मण मर जाए या कोई और आतंकवादी घटना हो, तो सिर्फ हमारे लिए एक ही काम है कि आपने कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आज भी आतंकवाद जिंदा है। मोदी जी और अमित शाह ने अभी घोषणा कर दी है कि 1 वर्ष में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या अन्य विपक्ष के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 1 वर्ष पूरा होने के बाद अगर एक भी नक्सलवादी घटना हुई, तो हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से त्यागपत्र मांगेंगे क्योंकि आपने घोषणा की थी कि एक वर्ष में खत्म कर देंगे। जिन लोगों ने नक्सलवाद को जिंदा किया, जिन लोगों ने कश्मीर में आतंकवाद पैदा किया, जिन लोगों ने विदेशों में काला धन भेजा, वही लोग अब घोषणाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो घोषणा की गई, वह शत प्रतिशत क्यों नहीं पूरी हुई। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हर मामले में हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल काम में अड़ंगा डाल रहे हैं और यदि वह काम आधा-अधूरा हुआ, तो दिन-रात प्रश्न उठाते हैं। बात प्रमाणित हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार में कमी आई है, लेकिन विपक्षी दल दिन-रात कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। 70 वर्षों के शासन में आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार कितना बड़ा, इसकी कोई चर्चा नहीं है। डॉलर और रुपए पर अगर हम चर्चा करें, तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रुपया 64 से घटकर 85 पर आया है और 1 से 64 तक किसके कार्यकाल में आया था, उसकी कोई चर्चा नहीं है। स्वतंत्रता से लेकर 2014 तक महंगाई कितनी बड़ी और 14 से लेकर 25 तक कितनी बड़ी, इसके तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन विपक्षी दल तुलना न करके सिर्फ यही प्रचार करते रहते हैं कि मोदी जी ने जितनी घोषणाएं की थीं, वह पूरी नहीं हुई। मेरे विचार से यह प्रश्न आम लोग तो उठा सकते हैं, लेकिन विपक्षी दल क्यों इस प्रश्न को उठाते हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि विपक्ष स्वतंत्रता से लेकर आज तक के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करें।



नेता बे-लगाम, संत गुरु नाकाम :

5 जनवरी प्रातःकालीन सत्र स्वराज्य विषय पर चर्चा। क्या हमें 70 वर्ष पहले स्वराज्य मिला था, यह एक गंभीर प्रश्न है। स्वराज्य क्या है? स्वराज्य की परिभाषा होती है प्रत्येक इकाई को अपने इकाइगत संविधान बनाने और क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय संविधान बनाने में सहभागिता, इसे हम स्वराज्य कहते हैं। यदि आप गंभीरता से विचार करें, तो स्वतंत्रता के बाद आज तक हमें स्वराज्य नहीं मिला। हमारे परिवार, गांव को अपना व्यक्तिगत संविधान बनाने और क्रियान्वित करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई और राष्ट्रीय संविधान बनाने में भी हमारी सहभागिता शून्य कर दी गई। यह कैसा स्वराज्य है? हमारे राजनेता स्वतंत्रता के तत्काल बाद ही कहने लग गए थे कि भारत को स्वराज्य नहीं, सुराज्य चाहिए। गांधी के मरते ही हमारे नेताओं की भाषा भी बदल गई, प्राथमिकताएं भी बदल गई। उस समय से लेकर आज तक हमें सुराज्य का सपना दिखाया जा रहा है और स्वराज्य तो छीन ही लिया गया। हम लोगों ने एक बार यह नारा लगाया था कि नेता बेलगाम हैं, संत गुरु नाकाम हैं, हम सब आज गुलाम हैं, अपराधी खुले आम हैं। अब स्वराज्य का नारा दो, हम पर राज्य हमारा हो। जब हम लोगों ने यह नारा लगाया, तो हम लोगों को नक्सलवादी घोषित कर दिया गया क्योंकि राज्य ने यह घोषित किया कि हमें सिर्फ सुराज्य मांगने का अधिकार है, स्वराज्य नहीं। मैं आप लोगों से यह उम्मीद करता हूँ कि अब राजनीति निरपेक्ष समाज की चर्चा होनी चाहिए। हमें सुराज्य नहीं, स्वराज्य चाहिए। जब तक स्वराज्य नहीं होगा, तब तक सुराज्य आ ही नहीं सकता। यह स्वराज्य एक दिवा स्वप्न है, एक धोखा है। हम आप सब एक साथ मिलकर अब हमें सुराज्य नहीं, स्वराज्य चाहिए का नारा लगाना चाहिए।



आन्दोलन कर पुलिस को ब्लैकमेल करना ठीक नहीं :

रायपुर छत्तीसगढ़ के विशंकर विश्वविद्यालय की एक छात्रा अपने हॉस्टल से बिना बताए चली गई। परिवार वालों ने अनेक प्रकार के आरोप लगाए। विपक्ष ने भी पुलिस के खिलाफ बहुत आंदोलन किया, कई दिनों तक लगातार अशांति बनी रही। पुलिस ने भी बहुत ताकत लगाई और महीने भर के बाद उस महिला को मथुरा में खोज निकाला। यह बात स्पष्ट हो गई कि महिला स्वेच्छा से गई थी, अन्य बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस महिला को खोजने में जो पुलिस विभाग का करोड़ों रुपया लगा, उसका जिम्मेदार कौन? जिस परिवार ने पुलिस पर इतने झूठे आरोप लगाए, इसका दोषी कौन? जिन लोगों ने उस महिला के विषय में आंदोलन शुरू किया, वह इस घटना में कितने दोषी हैं? यह प्रश्न लगातार खड़ा हो रहा है कि क्या इस प्रकार किसी महिला का गायब हो जाना पुलिस की जिम्मेदारी है? सच बात यह है कि जब तक कोई अपराध नहीं होता है, तब तक पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर आपके पास से कोई चीज गिर जाए, गायब हो जाए, तो उसकी खोज कर लाना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। वह जिम्मेदारी परिवार की है, समाज की है। पुलिस उसमें मदद कर सकती है, लेकिन आप पुलिस पर आरोप नहीं लगा सकते। अब कानून में बदलाव होना चाहिए। इस प्रकार के आंदोलन करने वालों को और इस प्रकार के आरोप लगाने वालों को, यदि आप झूठ सिद्ध होते हैं, तो दंडित किया जाना चाहिए। पुलिस विभाग का जो खर्चा हुआ, नुकसान हुआ, उसकी भरपाई उस महिला को करनी चाहिए, उसके परिवार को करनी चाहिए, आंदोलनकारी को करनी चाहिए।



सरकारीकरण का उपयोग अत्यंत दुष्कर परिस्थितियों में ही हो :

6 जनवरी प्रातः कालीन सत्र। एक विश्व सिद्धांत है कि किसी कार्य के करता और उसके परिणाम से प्रभावित व्यक्ति के बीच दूरी जितनी बढ़ती जाती है, उस कार्य की गुणवत्ता उतनी ही अधिक घटती जाती है। इस दूरी को न्यूनतम करना ही स्वराज माना जाता है और इस दूरी का अधिकतम बढ़ना ही सुराज होता है। यह स्वाभाविक है कि सुराज में कार्य की गुणवत्ता घटती चली जाती है। इसे सरल भाषा में यदि समझें, तो यदि अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं के चयन में हम स्वयं निर्णय करते हैं, तो उन वस्तुओं के अच्छे-बुरे का परिणाम भी हमारे ऊपर होता है और उसका दोषी भी हम होते हैं। लेकिन यदि उन वस्तुओं का चयन दिल्ली से होगा और उनका परिणाम हमारे ऊपर होगा, तो बीच में भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, कार्य की गुणवत्ता भी घटेगी और असंतोष भी बढ़ेगा। आदर्श स्थिति में यह दूरी शून्यवत होनी चाहिए, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर यदि ऐसा संभव न हो, तब भी यह दूरी कम से कम होनी चाहिए। वर्तमान समय में यह दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे हर व्यक्तिगत, पारिवारिक, गांव संबंधी मामलों में अंतिम निर्णय केंद्र सरकार लेती है और कई मामलों में तो हम विश्व व्यवस्था से प्रभावित रहते हैं। यही कारण है कि आज हर जगह भ्रष्टाचार और नैतिकता जालसाजी बढ़ती जा रही है। अच्छा हो कि इस दूरी को कम कीजिए, पारिवारिक मामलों में परिवार को अधिकार दे दीजिए, गांव संबंधी मामलों में गांव को अधिकार दे दीजिए, कुछ थोड़े से मामले सरकार अपने पास रखें, बाकी सारे उद्योग-धंधों का निजीकरण कर दीजिए। रेल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सड़क सब या तो निजी कर दीजिए या निगम के हाथ में दे दीजिए, सरकार का इसमें कोई दखल न हो। सरकार का काम आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित होना चाहिए, अन्य मामलों में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। सरकारीकरण एक जहर है और इस जहर का उपयोग सिर्फ आत्महत्या या दवा के रूप में ही हो सकता है, अन्य मामलों में नहीं। हमें सरकारीकरण और राष्ट्रीयकरण के खिलाफ खुलकर जन जागरण शुरू करना चाहिए।

कांग्रेस के हिंदू विरोधी कानून !

आर्टिकल-25 धर्म परिवर्तन का मान्यता दी	पूजा स्थल कानून- 1991 अतिक्रमण किये गये मंदिर हमेशा के लिए कब्जा हो गये
आर्टिकल-28 हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीना	वक्फ बोर्ड कानून- 1995 किसी भी जमीन पर दावा कर कब्जा कर सकते हैं
हिंदू दान धर्म एक्ट- 1951 हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया	रामसेतु एफिडेविट भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा
हिंदू कोड बिल- 1956 सिर्फ हिंदू संविधान को मानेंगे	

कांग्रेस के ये काले कानून हिंदुओं से

नेहरू परिवार अभी भी हिंदुत्व विरोधी :

यह बात सर्वविदित है कि नेहरू और अंबेडकर लगातार हिंदुओं का नुकसान करना चाहते थे, लेकिन यह बात अभी तक साफ नहीं हो सकी है कि क्या नेहरू को हिंदुत्व से विरोध था या इस्लाम से प्रेम था, या संगठित वोटों की लालच में उन्होंने इतना मुसलमान को प्रोत्साहित किया, अथवा साम्यवादी होने के कारण उन्होंने मुसलमान को अपने साथ जोड़ा। चारों में से कारण जो भी रहा हो, लेकिन यह बात सर्वविदित है कि नेहरू ने पूरी तरह मुसलमान को और इस्लाम को प्रोत्साहित किया। उन्होंने मदरसों को संरक्षण दिया, उन्होंने मस्जिदों को प्रोत्साहित किया, इस्लामी शिक्षा को भी उन्होंने बहुत स्वतंत्रता दी, आर्थिक दृष्टि से भी उन्होंने उनकी बहुत मदद की। नेहरू के बाद नेहरू के वंशज भी लगातार इस मार्ग पर चलते रहे। इंदिरा गांधी को भी कभी हिंदुत्व से कोई प्रेम नहीं रहा, राजीव गांधी को भी कहीं भारतीय महिला नहीं मिली, राहुल गांधी का भी हाल-चाल वैसा ही दिख रहा है। तो कुल मिलाकर यह बात सिद्ध है कि नेहरू का परिवार आज तक नेहरू की हिंदी विरोधी, हिंदू विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी नीति पर चल रहा है। अंबेडकर के बारे में तो यह बात साफ हो गई है कि अंबेडकर को हिंदुत्व से विरोध नहीं था, हिंदुत्व से घृणा थी। और इसलिए अंबेडकर ने हिंदुत्व का नुकसान करते हुए भी कभी इस्लाम और ईसाइयत को प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन नेहरू ने हमेशा हिंदुत्व का विरोध किया और इस्लाम को प्रोत्साहित किया। इसलिए मैं अभी तक इस नतीजे तक नहीं पहुंच सका कि नेहरू परिवार हिंदुओं से घृणा करता है या हिंदू विरोधी है, या इस्लाम समर्थक है, या ईसाइयों का समर्थक है, या कम्युनिस्ट है। कोई भी कारण हो, लेकिन यह बात साफ है कि यह परिवार हिंदुओं का विरोधी है। इसलिए हम सब लोगों को गंभीरता पूर्वक विचार करना है कि क्या नेहरू परिवार की हिंदुओं के संबंध में नीतियों में अब भी कोई बदलाव की संभावना है, अथवा इस परिवार से मुक्ति पाना ही एकमात्र उपाय है।



देव प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति के बीच हमेशा टकराव रहा है :

स्वतंत्रता के बाद भारत में नेहरू और अंबेडकर दो ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने शुरुआत से ही भारत को गलत दिशा दी। दुनिया जानती है कि समाज में सिर्फ दो ही वर्ग होते हैं, एक देवी प्रवृत्ति वाले और दूसरे आसुरी प्रवृत्ति वाले। इन्हीं दोनों के बीच टकराव हमेशा चलता रहता है और सत्ता सहित हम सब का लक्ष्य होता है कि देवी प्रवृत्तियां मजबूत हों, आसुरी प्रवृत्तियां कमजोर हों। लेकिन नेहरू और अंबेडकर ने मिलकर भारत में अनेक प्रकार के वर्ग खड़े कर दिए, गरीब और अमीर के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, महिला और पुरुष के नाम पर, आदिवासी, दलित और सवर्ण के नाम पर, और पता नहीं कितने प्रकार के वर्ग बना दिए, जिन वर्गों के आधार पर वर्ग संघर्ष एक समस्या बन गया। हमारा लक्ष्य छूट गया और हम एक गलत दिशा में चल पड़े। परिणाम हुआ कि आज हम वर्ग संघर्ष की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमारी सारी ताकत अनावश्यक कार्य में लग रही है। परिणाम हुआ कि देश उस गति से प्रगति नहीं कर सका जिसकी अपेक्षा थी, क्योंकि इन दोनों ने कभी हिंदुत्व को नहीं समझा, कभी भारत को नहीं समझा, कभी मानवीय प्रवृत्ति को नहीं समझा, कभी लक्ष्य को नहीं समझा। इन दोनों ने तो विदेश की आंख बंद करके नकल की और अपनी राजनीतिक सत्ता को ही सब कुछ समझा, जिसका लक्ष्य होता है वर्ग संघर्ष पैदा करो और स्वयं बिचौलिए के रूप में अपनी सत्ता को मजबूत करो। अब समय आ गया है कि हम इन दोनों से मुक्ति प्राप्त करें। अब समय आ गया है कि हम वर्ग संघर्ष को छोड़ें, हम समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ें। 75 वर्षों का समय बहुत होता है और इतने समय में हम जिस वर्ग संघर्ष की दिशा में जा रहे हैं, उसमें व्यवस्था नहीं है, शांति नहीं है, उसमें अराजकता ही अराजकता है, जो हम आज देख रहे हैं। आइए, हम अब गलत मार्ग पर चल रहे लोगों से किनारा करके सही मार्ग पर चलने की कोशिश करें।

भ्रष्टाचार कोई अपराध नहीं बल्कि गैर कानूनी होता है :

8 जनवरी प्रातः कालीन सत्र। कल मैंने रामानुजगंज की अपराध नियंत्रण के संबंध में एक पोस्ट लिखी थी। हमारे कुछ मित्रों के प्रश्न आए थे, आनंद सोनी ने लिखा कि रामानुजगंज में बड़ी मात्रा में शराब बिक रही है, पुलिस नहीं रोकती। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार ने पुलिस विभाग को अनेक काम दिए हुए हैं और यदि पुलिस वह कार्य नहीं करती है, तो उनके विषय में सरकार ही पूछ सकती है, हम नहीं। लेकिन पूरे दुनिया में रामानुजगंज अकेला शहर है, जहां के नागरिकों ने पुलिस विभाग को चार अतिरिक्त कार्य दिए थे: चोरी, डकैती, लूट और बल प्रयोग या हिंसा, दादागिरी। इन कार्यों के लिए ही हमारे और पुलिस के बीच एक समझौता था, अन्य कार्यों के लिए नहीं। वास्तव में शराब रोकना सरकार का कार्य नहीं होता, बल्कि शराब रोकना हम लोगों का कार्य होता है। अगर पुलिस शराब, जुआ, वेश्यावृत्ति, ब्लैक तस्करी, गांजा, अफीम इन सबको रोकने में लगा दी जाएगी, तब चोरी, डकैती, बलात्कार, मिलावट कौन रोकेगा? इसलिए हम लोगों ने सिर्फ चार काम पुलिस की जिम्मे दिए थे। आज भी पुलिस इन चार कार्यों को अधिक प्राथमिकता मानकर करती है। पूरे देश में भी यदि यह प्रणाली लागू कर दी जाए, तो देश के आम नागरिक सुरक्षित हो जाएंगे। हमने भ्रष्टाचार रोकने में भी पुलिस की जिम्मेदारी नहीं दी थी, क्योंकि भ्रष्टाचार रोकना पुलिस का काम नहीं है। भ्रष्टाचार कोई अपराध नहीं होता है, बल्कि गैर कानूनी होता है। अपराध, गैर कानूनी और अनैतिक की अलग-अलग परिभाषाएं होनी चाहिए। दुर्भाग्य से पूरे दुनिया में भ्रष्टाचार की अलग परिभाषा मानी जाती है और हमारे रामानुजगंज शहर में भ्रष्टाचार, गैरकानूनी और अनैतिक को अलग-अलग समझा जाता है। यही कारण है कि पूरे भारत में जो वातावरण बना हुआ है, उसकी तुलना में रामानुजगंज नगर का वातावरण अधिक सुरक्षित और शांत है। यहां सांप्रदायिक झगड़े नहीं होते, यहां राजनीतिक टकराव नहीं होता, सरकारी कर्मचारी और जनता के बीच में किसी प्रकार का टकराव नहीं है। यहां दो नंबर के कार्यों को अपराध नहीं माना जाता, सिर्फ तीन नंबर के कार्यों को ही अपराध माना जाता है। ऐसी व्यवस्था आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी, जहां दो नंबर और तीन नंबर की अलग-अलग व्यवस्था हो। मैं आपको सुझाव देता हूँ कि जिस तरह दुनिया चल रही है, जिस तरह भारत चल रहा है, उस दिशा में सुधार करने की जरूरत है। जिस दिशा में हम चल रहे हैं, वही दशा उचित है। इस विषय पर आप यदि प्रत्यक्ष भी चर्चा करना चाहते हैं, तो हम प्रतिदिन रात को 8:00 बजे जूम पर बैठकर चर्चा करते हैं। आप अपनी बात बता सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं।



राजनीतिक बुराइयों को दूर करने में ध्यान दें राजनेता :

9 जनवरी प्रातः कालीन सत्र, सामाजिक विषय पर चर्चा। यह सही है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में कुछ कमजोरी है, यह भी सही है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में अनेक बुराइयाँ हैं। सामाजिक व्यवस्था में कमजोरी है, राजनीतिक व्यवस्था में बुराइयाँ हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था अपनी बुराइयों पर चर्चा अधिक नहीं करती, सामाजिक कमजोरी पर बहुत अधिक चर्चा करती है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की नीयत खराब है। अनेक सामाजिक कमजोरी राजनीतिक व्यवस्था की बुरी नीयत का परिणाम है। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था हमेशा उनका लाभ उठाने का प्रयास करती है, ठीक करने का नहीं। अब समय आ गया है कि जो राजनीतिज्ञ सामाजिक बुराइयों की चर्चा करें, ऐसे राजनीतिक नेता का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। राजनेता अपनी राजनीतिक बुराइयों को दूर करें, समाज अपनी कमजोरी को ठीक कर लेगा। राजनीतिक नेताओं को उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अब समाज को एकजुट होकर यह संदेश दे देना चाहिए कि हम अपनी समस्याओं पर खुद चर्चा करके सुधार करने में सक्षम हैं, आपके हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। दिन रात राजनेता सामाजिक कमजोरी पर प्रवचन देते रहते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, यह चिंता करना समाज का काम है। परिवार अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेगा, गांव अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेगा, राष्ट्र अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेगा। परिवार, गांव या राष्ट्र की व्यवस्था करना सरकार का काम नहीं है। उनको प्रवचन देना बंद करिए। आप तो यह देखिए, आप परिवार, गांव, राष्ट्र की अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप तो नहीं कर रहे हैं। उनको अपनी आंतरिक व्यवस्था की चिंता करने दीजिए। मेरी राजनेताओं को यह सलाह है कि वह समाज के आंतरिक मामलों की चिंता करने की बजाय अपनी राजनीतिक बुराइयों को दूर करने की अधिक पहल करें। मैं इस निष्कर्ष तक पहुंच चुका हूँ कि सामाजिक कमजोरी इतने नुकसान नहीं दे रही हैं, जितनी राजनीतिक बुराइयाँ नुकसान कर रही हैं।

सुरक्षा के लिए एकजुट एवं सावधान रहने की जरूरत :

मैंने अपने जीवन में हिंदुत्व की दो अलग-अलग परिभाषाएं देखीं। हिंदुत्व की एक परिभाषा स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, जिसका अर्थ था वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव। स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व की इसी परिभाषा को दुनिया में आगे बढ़ाया था। यह परिभाषा हिंदुत्व के वैचारिक तत्वों को दुनिया भर में विस्तार देने की एक योजना थी। हिंदुत्व की एक परिभाषा वीर सावरकर ने दी, जिसके अंतर्गत हिंदुओं को एक संगठन के स्वरूप में रहना चाहिए। सावरकर के अनुसार हिंदुत्व को इस्लाम से बहुत बड़ा खतरा है और हिंदुओं को विस्तार की तुलना में सुरक्षात्मक प्रणाली चाहिए। सुरक्षा के लिए हमें एकजुट और सावधान रहना चाहिए। इन दोनों प्रणालियों का अलग-अलग महत्व था। गांधी ने विवेकानंद की प्रणाली को स्वीकार किया और संघ ने सावरकर की प्रणाली को। सावरकर की पद्धति से आगे बढ़कर ही संघ हिंदुत्व की सुरक्षा में मजबूती से आगे आया और उसे सफलता भी मिली। अब उस सफलता के बाद संघ भी यह महसूस कर रहा है कि हिंदुत्व को अब खतरा नहीं है क्योंकि अब हिंदुत्व की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी सरकार पूरी तरह सावधानी से उठा रही है। अब विवेकानंद के मार्ग पर हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर भी कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जो हिंदुत्व की इस सुरक्षात्मक प्रणाली की ताकत का लाभ उठाना चाहते हैं। जो लोग पहले किसी तरह के संघर्ष में शामिल नहीं थे, ऐसे गुरुआ वस्त्रधारी संत महात्मा भी अब बाहर निकालकर उछल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने को हिंदुत्व का सुरक्षा कर्मी घोषित कर रहे हैं। हमें बीमारी ठीक होने के बाद भी दवा का उपयोग करना उचित नहीं है क्योंकि दवा रिफ्रेशन भी करती है। मेरे विचार से संघ बिल्कुल ठीक दिशा में चल रहा है। संघ के विरोधी लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। मैं भी इस विचार का हूँ कि हिंदुत्व को स्वामी विवेकानंद के ही मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुत्व वैचारिक धरातल पर ही आगे बढ़ सकेगा। सुरक्षात्मक प्रणाली का समय अब समाप्त मान लेना चाहिए। हमारे लिए उचित है कि हम वर्तमान परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ पर पूरा-पूरा विश्वास करें। अब हमें हिंदुत्व का सावरकर मार्ग नहीं, विवेकानंद मार्ग ही उचित दिखता है।



उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

समाज सर्वोच्च वाली वैचारिक हिंदुत्व संस्कृति :

दुनिया में चार प्रकार की संस्कृतियां हैं, जिन चारों की अलग राजनीतिक सोच भी है। इसाई संस्कृति लोकतंत्र की पक्षधर है, मुस्लिम संस्कृति में संगठन सर्वोच्च होता है, साम्यवादी संस्कृति में सत्ता सर्वोच्च होती है और हिंदू संस्कृति में समाज सर्वोच्च होता है। इस तरह इन चारों में फर्क है। मुस्लिम संस्कृति में राजनीतिक सत्ता के ऊपर धार्मिक सत्ता प्रभावी रहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि दुनिया की मुस्लिम सरकारें बिना धर्म गुरुओं की इच्छा के एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकतीं क्योंकि हर मुसलमान धर्म गुरुओं को सबसे ऊपर महत्व देता है। यही कारण है कि दुनिया की सरकारें सांप्रदायिक धर्म गुरुओं से डरकर रहती हैं। यदि कोई सरकार लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष होना भी चाहे, तो उसे कट्टर होना ही पड़ता है क्योंकि हर मुसलमान धर्म गुरुओं से प्रभावित होता है। लेकिन साम्यवाद में ऐसा नहीं है। साम्यवाद न धर्म को मानता है, न समाज को मानता है, न लोकतंत्र को मानता है। साम्यवाद अपने राष्ट्र की सत्ता को ही सर्वोच्च मानता है। इसाई संस्कृति पूरी तरह लोकतंत्र की पक्षधर है। यही कारण है कि ईसाई और हिंदू संस्कृति के बीच आपस में तालमेल बन जाता है क्योंकि हिंदू समाज को सर्वोच्च मानता है और लोकतंत्र को भी मानता है। इसाई लोकतंत्र को सर्वोच्च मानता है और समाज को भी मानता है, और इसलिए दोनों में तालमेल संभव है। लेकिन मुस्लिम सरकार तो तालमेल करने के लिए तैयार रहती हैं, फिर भी मुस्लिम जनमत ऐसा तालमेल कहीं नहीं कर पाता। क्योंकि वह धर्म गुरुओं के प्रभाव में होता है। मुसलमान अपने को समाज का अंग नहीं मानता, इसलिए मुसलमान और साम्यवाद के बीच कभी-कभी तालमेल हो जाता है। यही कारण है कि सामाजिक स्तर पर मुसलमान सबसे अधिक कट्टर होता है। धार्मिक मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में तो मुसलमान विश्वसनीय भी हो सकता है, लेकिन धार्मिक मामलों में मुसलमान अपने धर्म गुरुओं को छोड़कर किसी भी तरह विश्वसनीय नहीं हो सकता। यहां तक कि कम्युनिस्ट के साथ भी मुसलमान का तालमेल मजबूरी में होता है, वास्तविक धरातल पर नहीं। ऐसी स्थिति में हम मुसलमान और ईसाइयों के संबंध में अलग-अलग नीतियां बना सकते हैं। हम इसाइयत के साथ आसानी से तालमेल कर सकते हैं और मुसलमान के साथ बहुत सावधानी से ही संपर्क रखना पड़ता है। मैंने कुछ दिन पहले भी एक पोस्ट लिखी थी कि जब तक मुसलमान को धर्म गुरुओं से अलग स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में हम पहचान नहीं दिला सकते, तब तक मुस्लिम कट्टरता पर भय से ही नियंत्रण हो सकता है। वैचारिक परिवर्तन बहुत कठिन है।



आंदोलन करना एक व्यापार जैसा हो चुका है :

आजकल भारत में आंदोलन की बाढ़ आई हुई है। हर छोटी से छोटी घटना पर कोई न कोई आंदोलन खड़ा हो जाता है। मैंने इस तरह के आंदोलन पर बहुत विचार किया कि पुराने जमाने में आंदोलन प्रायः होते ही नहीं थे। और आज हर बात में आंदोलन होते ही हैं। सच बात यह है कि आंदोलन करना आम भारतीय की न तो इच्छा होती है और न उसमें आंदोलन करने की ताकत है। वर्तमान समय में आंदोलन करने वालों की दुकानें खुली हुई हैं। यह दुकानदार आपको हर जगह मिल जाएंगे। इन दुकानदारों में कई लोग राजनीतिक धंधा करने वाले हैं, कई लोग मीडिया वाले हैं, कई एनजीओ हैं। ऐसे आंदोलन में विदेशियों की भी बहुत रुचि होती है। और सब मिलकर अन्य कोई व्यापार नहीं करते, न खेती करते हैं, अन्य कोई धंधा करते हैं। उनका तो सिर्फ कार्य है आंदोलन से कमाई करना। अगर कहीं किसी कारखाने में किसी की मृत्यु हो जाए, किसी गाड़ी से किसी को चोट लग जाए या किसी प्रकार की भी और घटना हो जाए, तो यह आंदोलनजीवी उस घटना की ठेकेदारी करते हैं। वह ठेका ले लेते हैं। इस ठेके में घटना से प्रभावित व्यक्ति को जो भी पैसा मिलता है, उस पैसे का आधे से अधिक पैसा इन आंदोलनकारियों की जेब में चला जाता है। यह गुप बनाकर रहते हैं, आंदोलन करने की धमकी देते हैं। दूसरी तरफ सरकार को भी झुकाते हैं, नेताओं को भी इस बात के लिए तैयार करते हैं कि अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए। यह बिचौलिए दोनों पक्षों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह देश में आंदोलन की बाढ़ आई जा रही है और इस बाढ़ में इन बिचौलियों का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरे विचार से अब समय आ गया है कि इन आंदोलनकारियों से किसी तरह पिंड छुड़ाया जाए। आंदोलन से देश का बहुत नुकसान हो रहा है।



व्यक्ति कितने घंटे काम करें व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर होता है :

आज प्रातः काल मैंने एक पोस्ट लिखी थी, जिसके अनुसार हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था को तहसनहस करने के लिए अनेक राजनेताओं ने परिभाषाएं बदल दी हैं। आज ही आपने सुना होगा कि किसी एक उद्योगपति ने यह सलाह दी थी कि हमें सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। किसी एक दूसरे उद्योगपति ने यह सलाह दी कि हमें 90 घंटे तक काम करने की आदत डालनी चाहिए। इस प्रकार की सलाह देने वाले और इसका विरोध करने वाले दोनों ही गलत हैं। किसी व्यक्ति को कितने घंटे काम करना चाहिए, यह उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। मेरे परिवार के कई सदस्य ऐसे हैं जो सप्ताह में 100 घंटे भी काम करते हैं। ना उन्हें 70 से मतलब है, ना 90 से मतलब है। भारत का प्रधानमंत्री प्रति सप्ताह 100 घंटे से भी अधिक काम करता है। आप कौन होते हैं यह कहने वाले कि हमें कितने घंटे काम करना चाहिए? और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि अनेक नासमझ इस 70 और 90 का विरोध करने तक उतर आए। एक नासमझ ने तो यहां तक कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार 50 घंटे से ज्यादा काम करने वाले की जान खतरे में पड़ सकती है। कैसे-कैसे लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंच जाते हैं, कैसे-कैसे रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि देश में 100 घंटे काम करने वाले भी अनेक लोग मौजूद हैं। किसी की जान नहीं जा रही है। एक कोई ड्रामेबाज दीपिका पादुकोण की भी चर्चा सामने आई। मैं नहीं समझा कि अगर दूसरे लोग 90 घंटे काम करते हैं, तो दीपिका पादुकोण को उससे क्या दिक्कत है। मैं बचपन से ही इस मत का रहा हूँ कि हमें कितने घंटे काम करना चाहिए, यह निर्णय करने की हमारी स्वतंत्रता है। कोई इसमें दखल नहीं दे सकता। 8 घंटे काम करने का नियम पूरी तरह गलत है और व्यक्ति को अपना निर्णय स्वयं करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। उसमें किसी अन्य को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 70 घंटे और 90 घंटे कार्य करने की वकालत करने वालों का जो लोग विरोध कर रहे हैं, यह विरोध करने वाले गलत हैं।

सरकारी कर्मचारी की तुलना में राजनेता अधिक भ्रष्ट :

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के लोगों से निवेदन किया है कि अच्छे लोगों को अब राजनीति में आना चाहिए। मैं इस विषय पर गंभीरता से चिंतन किया हूँ। यह बात सही है कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद राजनीति में आंशिक बदलाव आया है। कई जगह भ्रष्टाचार में कमी हुई है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर कई मुख्यमंत्री पर ईमानदारी का विश्वास पैदा हुआ है, परंतु अभी भी दो बातें साफ नहीं हुई हैं। पहली यह कि नरेंद्र मोदी और कुछ ईमानदार मुख्यमंत्री के लंबे समय तक बने रहने की संभावना बन गई है। अभी मैं 6 महीने पहले ही देखा कि यदि थोड़ा सा और बदलाव हो जाता, 30-40 सीट और मोदी की कम हो जाती, तो सरकार बदल जाती। अर्थात् अभी तक लगभग बराबरी की गुंजाइश बनी हुई है, खतरा टला नहीं है। दूसरी बात, आज ही मुझे समाचार मिला कि उत्तर प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी ही पार्टी के कई विधायक गुपचुप आरोप लगा रहे हैं कि योगी के अफसर इन विधायकों और नेताओं की बात सुनते ही नहीं हैं। प्रश्न खड़ा होता है कि क्या विधायकों की बात मानना अफसर की मजबूरी है? क्या विधायक ईमानदार हैं और अफसर भ्रष्ट हैं? यह निश्चित है। और यदि नहीं, तो भ्रष्ट विधायकों की बात अफसर को आंख बंद करके क्यों माननी चाहिए? मेरा तो अभी तक यह मानना है कि सरकारी कर्मचारियों की तुलना में राजनेता अभी भी अधिक भ्रष्ट हैं, यद्यपि राजनेताओं में भी भ्रष्टाचार कम हो रहा है। तो मेरे विचार से अभी भी भ्रष्ट लोगों का ईमानदार लोगों के खिलाफ खतरा कायम है। इसलिए अभी यह बात साफ नहीं कही जा सकती कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अभी खतरा बना हुआ है और अच्छे लोगों को कुछ समय तक और प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजनीति से बाहर रहकर ईमानदार लोगों को ताकत देना अधिक अच्छा होगा। यदि नरेंद्र मोदी और अन्य राजनेता अच्छे लोगों को राजनीति में ईमानदारी से लाना चाहते हैं, क्यों नहीं राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देते हैं? अपने आप भ्रष्ट लोग राजनीति छोड़कर अन्य व्यापार में चले जाएंगे और अच्छे लोग राजनीति की तरफ आकृष्ट हो जाएंगे। जब तक राजनीतिक सत्ता महत्वपूर्ण बनी रहेगी, तब तक अच्छे लोगों को राजनीति में जाना एक खतरा बना रहेगा।

दलीय राजनीति विचार मंथन में सबसे बड़ा बाधक :

हम यदि दुनिया की 10 समस्याओं पर विचार करें तो उनमें से एक बड़ी समस्या यह है कि सारी दुनिया में निष्कर्ष निकालने में विचार मंथन का प्रभाव समाप्त होकर विचार प्रचार का प्रभाव अधिक हो गया है। भारत भी इस बुराई से अछूता नहीं है। भारत में भी अब विचार प्रचार को ही महत्व दिया जा रहा है, यहां तक कि जो संसद

विचार मंथन का केंद्र होनी चाहिए थी, उस संसद में भी सिर्फ विचार प्रचार के अवसर खोजे जाते हैं। धर्म वास्तव में एकात्मक चिंतन का केंद्र था, लेकिन धर्म के नाम पर भी विचार प्रचार हो रहा है। मीडिया का महत्व बढ़ रहा है, टेलीविजन विचार प्रचार के माध्यम बन गए हैं। यदि आप भारत के वर्तमान राजनीतिक वातावरण को देखेंगे, तो हर राजनीतिक दल अपनी सारी शक्ति विचार प्रचार पर लगा रहा है। विचार मंथन का सर्वथा अभाव है। दलीय राजनीति इस विचार मंथन में सबसे अधिक बाधक है। विचार मंथन के लिए व्यक्ति बैठते हैं, दल नहीं। जब आप व्यक्तियों को दल के रूप में, गिरोह के रूप में बिठाना शुरू कर देंगे, तो वे विचार प्रचार ही करेंगे, विचार मंथन कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें दुनिया की राजनीतिक बुराइयों से छुटकारा पाना होगा, इसकी शुरुआत भारत से होनी चाहिए। और भारत में हमारी सरकारों ने सभी मीडिया केंद्र पर आर्थिक नियंत्रण कर लिया है। सरकार हमसे जो टैक्स लेती है, उस टैक्स का बहुत बड़ा धन इस विचार प्रचार पर खर्च करती है। अब समय आ गया है कि विचार प्रचार के महत्व को कम किया जाए, विचार मंथन के महत्व को आगे बढ़ाया जाए। दुनिया को विचार प्रचार से मुक्ति मिलनी चाहिए।

छोटे परिवार के कारण बढ़ रही आत्महत्याएं :

गाजियाबाद में आपसी विवाद के कारण पति-पत्नी दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसी तरह के विवाद कई जगह सुनने को मिल रहे हैं। हमारे रायपुर के पास भी एक शहर में पति-पत्नी के बीच विवाद होने पर दोनों ने अलग-अलग आत्महत्या कर ली। यह विचारणीय प्रश्न है। इस प्रकार के छोटे-छोटे विवादों में विवाद से जुड़े हुए दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, वह भी पति-पत्नी होते हैं। दोनों ही आत्महत्या कर लेते हैं, कभी-कभी दोनों मिलकर बच्चों को भी मार देते हैं। आखिर वर्तमान भारत में इस प्रकार की आत्महत्याएं बढ़ क्यों रही हैं और इनका समाधान क्या है? यह बात सही है कि छोटे परिवार आरामदायक होते हैं, सुविधाजनक होते हैं, इसलिए यह बात भी सही है कि छोटे परिवार समाज व्यवस्था के लिए बहुत घातक होते हैं। छोटे परिवारों में बच्चों से और बूढ़ों तक एक दूरी बन जाती है। या तो किसी परिवार में बूढ़े होते हैं, बच्चे नहीं होते, या किसी में बच्चे होते हैं, बूढ़े नहीं होते। और यदि किसी परिवार में पति-पत्नी दो या तीन ही होते हैं, ऐसे परिवार में सहजीवन बहुत कठिन हो जाता है। जरा सी बात पर अगर विवाद बढ़ जाए, तो न कोई सुनने वाला है, न कोई समझाने वाला है, न कोई रोकने वाला है, और वह विवाद आत्महत्या का कारण बन जाता है। मैं इस संबंध पर बहुत सोचा और मैं इस परिणाम तक पहुंचा कि इस समस्या का समाधान संयुक्त परिवार प्रणाली ही हो सकता है। और कोई तरीका नहीं है कि आप इस समस्या का समाधान खोज सकें। इसलिए हम आप सब मिलकर संयुक्त परिवार प्रणाली को अनेक समस्याओं के समाधान के रूप में विकसित करें। भारत में वर्तमान समय में चल रही परिवार प्रणाली या संवैधानिक रूप से मान्य परिवार प्रणाली को अब संयुक्त परिवार प्रणाली में बदल देने की जरूरत है।



भारतीय लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं :

आज की सायंकालीन चर्चा में हम भारत में लोकतंत्र कितना इस विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले 10 वर्षों से धीरे-धीरे यह बात सामने आ रही है कि भारत में पांच लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और अदानी का नाम शामिल बताया जाता है। विपक्षी नेता समय-समय पर इन लोगों की हमेशा चर्चा करते रहते हैं। कभी संघ का नाम लिया जाता है, कभी मोदी को तानाशाह बता दिया जाता है, कभी अदानी को भी बताया जाता है, और कुछ नेता तो योगी आदित्यनाथ की भी चर्चा करते हैं। अलग-अलग समय पर अलग-अलग व्यक्ति को तानाशाह प्रचारित किया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय लोकतंत्र में वर्तमान समय में किसी एक व्यक्ति का वीटो नहीं है। एक से अधिक व्यक्तित्व हैं, चाहे वह अदानी हो या मोहन भागवत हो अथवा कोई और हो। कोई भी एक व्यक्ति मनमानी नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम पिछले 70 वर्षों का इतिहास देखें, तो आप इतिहास में कोई ऐसा समय निकाल कर नहीं बता सकते जब भारतीय लोकतंत्र में नेहरू परिवार का वीटो न रहा हो। हर व्यवस्था में नेहरू परिवार की तानाशाही चलती ही रही है, चाहे वह मनमोहन सिंह हो या कोई अन्य। वर्तमान भारत में भी कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है, जिस राजनीतिक दल में लेश मात्र भी लोकतंत्र हो। क्या आप बता सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल, अथवा बंगाल की टीएमसी में ममता बनर्जी, या अन्य किसी भी राजनीतिक दल में किसी एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं है? कोई ऐसा दल आप खोज कर बता दीजिए कि जहां कम से कम दो लोगों को बराबरी के अधिकार प्राप्त हो। आपको खोजने पर भी कोई ऐसा दल नहीं मिलेगा। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस राजनीतिक दल में कम से कम दो लोगों को बराबरी के अधिकार प्राप्त हो, उस राजनीतिक दल पर यह तानाशाह अगर प्रश्न खड़ा करते हैं, तो ऐसे किसी भी सवाल का क्या औचित्य है? कोई डकैती किसी मामूली कर पर सवाल खड़ा करें कि उसने तो छुपकर चोरी की है, मैं तो बंदूक पर लुटाता हूँ, तो मैं नहीं समझता कि किसी डकैत को इस तरह का सवाल उठाना चाहिए। मैं फिर चुनौती देता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल अपने अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था न होने के आरोप पर अपनी सफाई दे।

नई राजनीतिक पारिस्थितिकी में व्यवस्था परिवर्तन आसान :

आज की चर्चा शुरू करने के पहले मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों की संस्था का उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं है, सत्ता में चाहे जो भी आवे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए। सत्ता के बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है। 10 वर्ष पहले तक जो सत्ता चल रही थी, वह स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हुई थी और उसने राजनीतिक व्यवस्था का जो ढांचा तैयार किया, वह बहुत गलत था। उस राजनीतिक ढांचे को बदलना तब तक संभव नहीं था जब तक वह सत्ता नहीं बदलती। क्योंकि वह पूरी की पूरी सत्ता तानाशाह थी। 10 वर्ष पहले वह सत्ता बदल गई और भारत में आंशिक लोकतंत्र आया है, अर्थात् वर्तमान समय में एक व्यक्ति की सरकार नहीं, एक से अधिक लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन राजनीतिक ढांचा तो वही चल रहा है, व्यवस्था वही चलती रही। यह बात अवश्य बदली है कि अब नई राजनीतिक सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन कुछ अधिक आसान हो गया है। हम लगातार व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में प्रयत्नशील हैं, हम वर्तमान राजनीतिक सत्ता से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन जागरण में लगे हुए हैं। लेकिन हम यह भी नहीं चाहते हैं कि वर्तमान व्यवस्था को बदलने का लाभ उठाकर फिर से पुरानी वह सत्ता आ जाए जिसने इस पूरी व्यवस्था को विकृत किया है। इसलिए हमारी दो तरफ से लड़ाई चलती है: एक तरफ हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन जागरण करते हैं, दूसरी ओर नेहरू परिवार की राजनीतिक सत्ता का पूरी तरह खुलकर विरोध करते हैं, क्योंकि नेहरू परिवार ने ही वह पुरानी राजनीतिक व्यवस्था हमारे ऊपर बलपूर्वक ठोक दी थी। यही कारण है कि हम लगातार दोनों दिशाओं में सक्रिय रहते हैं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम लोग प्रतिदिन आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक, वैश्विक व्यवस्थाओं पर लगातार चिंतन मंथन करते रहें, जिससे हम समाज को व्यवस्था परिवर्तन के मार्ग और व्यवस्था परिवर्तन विषय पर अधिक से अधिक जागरूक कर सकें।

मौलिक अधिकार प्रकृति प्रदत्त या समाज प्रदत्त? :

13 जनवरी प्रातःकालीन सत्र समाज विषय पर चर्चा। समाज का स्वरूप क्या है, यह एक बहुत ही जटिल और गंभीर विषय है, लेकिन इस पर चर्चा करना भी आवश्यक है। व्यक्ति और समाज, यह दोनों मूल इकाइयाँ हैं। व्यक्ति सबसे अंतिम इकाई होती है, व्यक्ति का कोई भाग नहीं हो सकता, प्रकार हो सकते हैं, समाज का कोई प्रकार नहीं होता, भाग होते हैं। व्यक्ति हमेशा एकवचन होता है, व्यक्तियों शब्द बहुवचन होता है, समाज हमेशा बहुवचन होता है, अर्थात् समाजों शब्द ही नहीं सकता। व्यक्ति का भौतिक स्वरूप दिखता है, समाज का सिर्फ काल्पनिक स्वरूप दिखता है, क्योंकि समाज का कोई भौतिक स्वरूप होता नहीं है। समाज सर्व व्यक्ति समूह होता है, अर्थात् सारी दुनिया के सभी लोग .

मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं और यह समाज निर्मित नहीं होता, बल्कि माना जाता है, आभासी होता है। समाज की कोई व्यवस्था नहीं होती, बल्कि परिवार, गांव, राष्ट्र यही समाज के भाग अलग-अलग व्यवस्थाएं करते हैं। यह भी संभव है कि समाज एक विश्व व्यवस्था भी बना ले, लेकिन यह व्यवस्थाएं अपने को समाज नहीं कह सकती, बल्कि सामाजिक व्यवस्था कह सकती हैं, क्योंकि यह समाज के भाग हैं, प्रकार नहीं। व्यक्तियों को मिलकर ही समाज बनता है और समाज से ही व्यक्ति की उत्पत्ति हुई है, अर्थात् बिना व्यक्तियों के कोई समाज नहीं बन सकता और बिना समाज के कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। इस तरह व्यक्ति और समाज इन दोनों का परस्पर अनिवार्य संबंध है। यह आवश्यक है कि समाज व्यवस्था पर विचार करने के पहले हम व्यक्ति, समाज और व्यवस्था पर लगातार चिंतन करते रहें। यदि व्यक्ति के अंदर कोई विकृति आएगी, उसका प्रभाव समाज पर पड़ना निश्चित है। यदि समाज में कोई विकृति आएगी, उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ना निश्चित है, क्योंकि समाज से ही व्यक्ति बनता है और व्यक्तियों को ही मिलाकर समाज बनता है। यदि हम वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में समीक्षा करें, तो समाज का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ रहा है, लोकतंत्र में व्यक्ति का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ रहा। तानाशाही में व्यक्ति का प्रभाव समाज पर पड़ता है। इस तरह लोकतंत्र और तानाशाही इन दोनों के बीच फर्क होता है। स्पष्ट है कि वर्तमान दुनिया में व्यक्ति के अंदर यदि कुछ बुराइयाँ आई हैं, वे बुराइयाँ समाज में आई बुराइयों के कारण हैं, व्यक्ति में आई बुराइयों के कारण समाज में बुराइयाँ नहीं आई हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ रहा है। इसलिए हमें व्यक्ति की आई बुराइयों को दूर करने के लिए समाज में आई बुराइयों पर अधिक मंथन, चिंतन करना पड़ेगा।

व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रकृति प्रदत्त हैं या समाज प्रदत्त, यह निर्णय करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि समाज की संरचना का न कोई स्पष्ट आधार मिलता है और न ही कोई भौतिक स्वरूप। समाज तो सर्व व्यक्ति समूह माना जाता है और परिवार, गांव, राष्ट्र आदि को समाज का भाग। लोक स्वराज का अर्थ होता है प्रत्येक इकाई को अपने इकाईगत संविधान बनाने और क्रियान्वित करने की असीम स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय संविधान बनाने में सहभागिता। इस तरह प्रत्येक इकाई अपनी आंतरिक व्यवस्था में स्वतंत्र भी होती है और बाहरी व्यवस्था में परतंत्र भी। हम लोक स्वराज्य में राज्य रहित समाज व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि राज्य मुक्त व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि राज्य ना तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की कोई सीमा बना सकता है, ना ही सामाजिक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य तो सिर्फ उसी परिस्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो। अन्यथा राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सुरक्षा और न्याय राज्य का दायित्व है, कर्तव्य नहीं। वर्तमान दुनिया में राज्य व्यवस्था में दायित्व और कर्तव्य को अलग-अलग समझने में भूल कर दी है, जो ठीक नहीं है।



राज्य को न्यूनतम हिंसा की जगह संतुलित हिंसा करनी चाहिए :

14 जनवरी प्रातः कालीन सत्र सामाजिक विषय पर चर्चा। हम दुनिया की प्रमुख 10 समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने चर्चा की किस तरह समाज में विचार मंथन की प्रक्रिया बंद होकर विचार प्रचार को महत्व दिया जा रहा है। कल हमने इस बात पर चर्चा की कि दुनिया में व्यक्ति के स्वभाव में हिंसा बढ़ रही है, लेकिन कल की चर्चा अधूरी रही। हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि हिंसा बढ़ क्यों रही है। यह बात सच है कि सारी दुनिया के मानव स्वभाव में लगातार हिंसा बढ़ रही है, लेकिन इस हिंसा के बढ़ने का कारण सामाजिक नहीं है। सच्चाई है कि इसके लिए वर्ण व्यवस्था का टूटा स्वरूप दोषी है। वर्ण व्यवस्था में राज्य सत्ता को हिंसा करने की असीम शक्ति दी गई थी और अन्य तीन वर्ण मार्गदर्शक, पालक और सेवक को पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए था। दुर्भाग्य से हमारे देश में बुद्ध, जैन और यहूदियों में ईसाइयों ने राज्य को न्यूनतम हिंसा करने की सलाह दे दी। जब राज्य संतुलित हिंसा की जगह न्यूनतम हिंसा का पक्षधर हो गया, तो स्वाभाविक था कि समाज में हिंसा बढ़ती। सामाजिक संतुलन बिगड़ गया। आज अगर पूरी दुनिया में हिंसा पर विश्वास बढ़ रहा है, तो इसका प्रमुख कारण है यीशु मसीह की अहिंसा की शिक्षा। गांधी ने भी राज्य को न्यूनतम हिंसा की सलाह देकर गलती की थी। इन सब गलतियों को सुधारने की जरूरत थी, अर्थात् राज्य को न्यूनतम हिंसा की जगह संतुलित या अधिक हिंसा का पक्ष लेना चाहिए था। पिछली गलतियों को सुधारने की जरूरत है, अर्थात् राज्य को अधिक हिंसक होना चाहिए और समाज को अधिक अहिंसक होना चाहिए। दुर्भाग्य से हम आज भी उन्हीं पुराने घिसे-पिटे कानून के आधार पर न्यूनतम हिंसा को महत्व दे रहे हैं, जो ठीक नहीं है। जब तक राज्य हिंसक नहीं होगा, तब तक समाज अहिंसक नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि समाज को हिंसा का प्रवचन बंद कर दीजिए। राज्य को हिंसक होने की सलाह दीजिए। भारत में जो लोग हम लोगों को हथियार रखने की सलाह दे रहे हैं, वह सीधे-सीधे राज्य को इस बात के लिए मजबूर करें कि राज्य अधिक से अधिक शक्ति का उपयोग करें। मेरा अपने देश के सभी साधु संतों से निवेदन है कि वह शास्त्र पढ़ें, शस्त्र नहीं। शास्त्र और शस्त्र का संतुलन वर्ण व्यवस्था में प्रत्यक्ष है, लेकिन हमारे साधु संत उस संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। यह निकम्मी साधु संत शास्त्र के जगह शस्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, जो वर्ण व्यवस्था में सिर्फ राज्य के लिए सुरक्षित है। दुनिया को अब सही संदेश देने की जरूरत है। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मेरे जिन मित्रों ने कल हिंसा का समर्थन किया, मैं उन मित्रों से सहमत नहीं हूँ।